आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

उमा देवी, पति-धनेश्वर पासवान, ग्राम-हुरहुरू,
थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा अंचल-सदर, ग्राम-हुरहुरू, थाना
नं0-147, खाता संख्या-2, 2, 16, 21, प्लॉट संख्या-682, 682,
687, 684, रकवा-2.50डी0, 2.50डी0, 1.50डी0, 1.00डी0 कुल
रकवा-7.50 डी0 भूमि बॉबी रानी, पति-विजय रविदास, ग्राम-हुरहुरू,
थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु
आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद
संख्या 226/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए
विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की
गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि

–

क्रेता बॉबी रानी एवं विक्रेता उमा देवी अनुसूचित जाति के
अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री की अनुमति
के पश्चात् आवेदिका भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आयेंगे। आवेदिका को
भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री की अनुमति के पश्चात्
आवेदिका के पास रकवा लगभग 54 डी0 भूमि बचेगी। भूमि
आवेदिका को केवाला से हासिल है। पंजी-II के पृष्ट सं0 81/XVI,
183/VIII, 125/KVI पर स्वयं के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन
रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की
छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर
कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि
के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता
उमा देवी का अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा निर्गत्
ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या JHRC/2020/305029
दिनांक-04.01.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर, हजारीबाग द्वारा
निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2020/60907 दिनांक-12.01.
2021 और क्रेता बॉबी रानी का अंचल अधिकरी, कटकमदाग,
हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र संख्या
JHLRCO/2020/320215 दिनांक-03.01.2021 एवं अंचल अधिकारी,
कटकमदाग, हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या
JHCSC/2020/69885 दिनांक-04.01.2021 के आधार पर तथा अंचल

अनुसूची-14 प्रपत्र सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
1	2	
	अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-हुरहुरू, थाना नं0-147, खाता संख्या-2, 2, 16, 21, प्लॉट संख्या-682, 682, 687, 684, रकवा-2.50डी0, 2.50डी0, 1.50डी0, 1.00डी0 कुल रकवा-7.50 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.01.06 16:20:22 +05:30
Location: 192.168.100.2